EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1249—1254

Dated 4-8-2012

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 195.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और साधारण रिजर्व इंजीनियर बल (गैर तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक उनका संबंध सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन), में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क विकास मंडल, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (सीमा सड़क संगठन), सहायक प्रशासनिक अधिकारी (गैर तकनीकी अधिकारी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उपरोक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि, केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	62*(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** (i) रिक्त पदों का 50 प्रतिशत, ऐसे सहायक, जिन्होंने वेतन बैंड-2 में 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल केन्द्र द्वारा आयोजित कम से कम चार सप्ताह की अवधि का प्रशासनिक, स्थापन, लेखा और भण्डार का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो; (ii) रिक्त पदों का 30 प्रतिशत, ऐसे ज्येष्ठ पर्यवेक्षक (भंडार), जिन्होंने वेतन बैंड-2 में 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल केन्द्र द्वारा आयोजित कम से कम चार सप्ताह की अवधि का प्रशासनिक, स्थापन, लेखा और भण्डार का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो; और (iii) रिक्त पदों का 20 प्रतिशत, ऐसे ज्येष्ठ पर्यवेक्षक (प्रशासन), जिन्होंने वेतन बैंड-2 में 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल केन्द्र द्वारा आयोजित कम से कम चार सप्ताह की अवधि का प्रशासनिक, स्थापन, लेखा और भण्डार का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो । **टिप्पणी 1 :** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची उस तारीख से तैयार की जाएगी जिस तारीख को अधिकारी ने अपनी श्रेणी या पद में विहित अर्हक सेवा पूरी कर ली हो । **टिप्पणी 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पणी 3 :** प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके जहां एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक या

	(11)
	एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों का विस्तारित होना जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल —अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (कार्मिक) सीमा सड़क महानिदेशालय —सदस्य 3. निदेशक/उप सचिव, सीमा सड़क विकास मंडल —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. बीआरडीबी/01/103/ए.ओ.ओ./2009/जी ई-I(पी.सी.-03)]

रामपाल सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2012

G.S.R. 195.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the General Reserve Engineer Force (Non-Technical Officers) Recruitment Rules, 2003, in so far as they relate to the post of Assistant Administrative Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Administrative Officer in the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Road Transport and Highways, Border Roads Development Board, General Reserve Engineer Force (Border Roads Organisation), Assistant Administrative Officer (Non-Technical Officers), Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band, and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Administrative Officer	62* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(10)	(11)
Promotion	**Promotion :** (i) Fifty per cent vacancies from Assistant in Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4200 with five years regular service in the grade and has passed Administration, Establishment, Accounting and Stores course of not less than four weeks duration at General Reserve Engineer Force Centre; (ii) thirty per cent vacancies from Senior Supervisor (Stores) in Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4200 with five years regular service in the grade and has passed Administration, Establishment, Accounting and Stores course of not less than four weeks duration at General Reserve Engineer Force Centre; and (iii) twenty per cent vacancies from Senior Supervisor (Administration) in Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4200 with five years regular service in the grade and has passed Administration, Establishment, Accounting and Stores course of not less than four weeks duration at General Reserve Engineer Force Centre. **Note 1 :** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation

(11)
period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Secretary, Border Roads Development Board —Chairman 2. Deputy Director General (Personnel), Directorate General Border Roads —Member 3. Director/Deputy Secretary, Border Roads Development Board —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

F. No. BRDB/01/103/AAO/2009/GE-I(PC-03)]

RAMPAL SINGH, Under Secy.